सूचना का अधिकार के अंतर्गत छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि. में प्रथम अपीलीय अधिकारी
श्री पी.पाण्डेय, अतिरिक्त महाप्रबंधक (मा.सं.), दूरभाष क्रं. –0771–2574040

अपील प्रकरण क्रमांक 33/2020 दिनांक 05.12.2020

O/o E.D. (EITC) CSPDCL Raipur
Receipt No. 8806
Date 26 FEB 2021
AGM (IT)
SE (O)/SE
EE
Section

श्री अक्षत कुमार गुप्ता
सरगुजा
अपीलार्थी

विरूद्ध

श्री के.एस.भारती
जनसूचना अधिकारी
होल्डिंग कंपनी, रायपुर
प्रतिअपीलार्थी

–:: आदेश ::–

(दिनांक 25/02/2021 को पारित)

अपीलार्थी श्री अक्षत कुमार गुप्ता की ओर से प्रकरण पर प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी, सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो, होल्डिंग कंपनी रायपुर के द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी से असंतुष्ट होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसे प्रकरण क्रमांक 33/2020 दिनांक 05.12.2020 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है।

(2) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन दिनांक 16.07.2020 के माध्यम से सहायक यंत्री (प्रशिक्षु) पद के भर्ती परीक्षा के संबंध में 08 बिन्दुओं की निम्नलिखित जानकारी चाही गई है :–

(I) 40 पदों के लिए साक्षात्कार में बुलाये गये तीन गुना (120) उम्मीदवारों के नाम, रोल नबंर सहित।

(II) साक्षात्कार के पश्चात् 40 पदों के लिए चयनित अभ्यार्थियों के नाम रोल नबंर।

(III) साक्षात्कार में चयनित अभ्यार्थियों जिन्होने कार्यभार ग्रहण नही किया उनका नाम रोल नबंर सहित तथा उन्हे जो डिर्पाटमेंट दिया गया।

(IV) साक्षात्कार में चयनित अभ्याथियों जिन्होने पदभार ग्रहण किया उनका नाम रोल नबंर।

(V) पदभार ग्रहण करने की स्थिति में रिक्त पदों की संख्या, डिपार्टमेंट जो उन्हे दिया गया था स्थान।

(VI) साक्षात्कार में बुलाये गये सभी (120) अभ्यार्थियों के रैंक लिस्ट प्राप्तांक सहित तथा प्रतीक्षा सूची का लिखित दस्तावेज।

(VII) नियुक्ति संबंधी छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि. की नियमावली।

(VIII) जिन अभ्याथियों ने पदभार ग्रहण नही किया उस स्थिति में रिक्त हुए पदों को भरने हेतु आपके द्वारा आगे क्या प्रक्रिया की जा रही है उसका जवाब लिखित में प्रदान करें।

(3) सूचना पत्र क्रमांक 84 दिनांक 17.12.2020 के माध्यम से अपील की सुनवाई दिनांक 26.12.2020 को निर्धारित कर, दोनों उभय पक्ष को सूचित किया गया। निर्धारित तिथि को छ.ग. विद्युत कर्मचारी संघ, फेडरेशन के साथ बैठक आयोजित होने के कारण अपील में सुनवाई की कार्यवाही नही की जा सकी।

सूचना पत्र क्रमांक 90 दिनांक 28.12.2020 के माध्यम से अपील की अगली सुनवाई दिनांक 13.01.2021 को निर्धारित कर, दूरभाष के माध्यम से अपीलार्थी को सूचित किया गया। निर्धारित तिथि को जनसूचना अधिकारी एवं संबंधित प्रभाग के (DPIO) प्रबंधक (मा.सं.) –आठ, उपस्थित हुए, किन्तु अपीलार्थी अनुपस्थित रहें। अतः प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही नही की जा सकी।

पत्र क्रमांक 03 दिनांक 27.01.2021 के माध्यम से अपीलार्थी को प्रकरण में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अपील की सुनवाई दिनांक 19.02.2021 को निर्धारित की गई। उक्त तिथि को जनसूचना अधिकारी के स्थान पर सहायक जनसूचना अधिकारी सह प्रबंधक (मा.सं.) –तीन (DPIO) तथा अपीलार्थी द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि अंकिता गिरी अधिकृत आवेदन पत्र के साथ उपस्थित हुए। अतः प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही संपन्न की गई।

(4) सहायक जनसूचना अधिकारी का पक्ष कथन कि कंडिका 02/–टीप में आवेदक द्वारा 08 बिन्दुओं के माध्यम से सहायक यंत्री (प्रशिक्षु) भर्ती परीक्षा के संबंध में जानकारी चाही गई है। तत्संबंध में आवेदक को निर्धारित समयावधि के भीतर कुल 07 पृष्ठों की जानकारी/दस्तावेज से यथा निम्नानुसार अवगत करायी गई है :–

(I) बिन्दु क्रमांक 01, एवं 06– साक्षात्कार के लिये बुलाये गये उम्मीदवारों के रोल नंबर एवं उन्हे चयन प्रक्रिया में प्राप्तांक की सूची नस्ती में संलग्न है तथा प्रतीक्षा सूची तैयार नही किये जाने के कारण उपलब्ध कराया जाना संभव नही है।

(II) बिन्दु क्रमांक 02 – नस्ती में संलग्न है।

(III) बिन्दु क्रमांक 03, 04 एंव 05– उक्त जानकारी संबंधित कंपनी के (मानव संसाधन) विभाग से प्राप्त की जा सकती है।

(IV) बिन्दु क्रमांक 07– छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., की भर्ती सूचना क्रमांक 1762, 1763 दिनांक 18.07.2018 का अवलोकन कर सकते है।

(V) बिन्दु क्रमांक 08– भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के ज्ञापन संख्या क्रमांक 1/7/2009 –आई.आर, दिनांक 01.06.2009 के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत **"क्यो"** एवं **प्रश्न वाचक** का जवाब, या किसी प्रकार का कारण, या व्याख्या आदि देने की बाध्यता नही है।

कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2189 दिनांक 08.10.2020 के माध्यम से आवेदक को कुल 07 पृष्ठों की जानकारी उपलब्ध करायी गई है।

(5) (i) निर्धारित तिथि को संबंधित अभिलेखों/दस्तावेजों का अवलोकन कर, सहायक जनसूचना अधिकारी एवं अपीलार्थी के अधिकृत प्रतिनिधी अंकिता गिरी के तर्क श्रवण किये गये।

(ii) प्रकरण में आये तथ्यों एवं कंड़िका 04/–टीप के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा प्रकरण में जो कार्यवाही की गई है वह तर्कसंगत है।

(iii) प्रतिनिधी आवेदिका का तर्क कथन कि उन्हे वांछित बिन्दु क्रमांक 01,02,03,04,05, एवं 06 की जानकारी पूर्ण रूप से उपलब्ध करायी जावे।

(IV) प्रतिअपीलार्थी सहायक जनसूचना अधिकारी सह (DPIO) का तर्क कि कंड़िका 02/–टीप में वांछित जानकारी के सबंध में आवेदक को नियम संगत जानकारी उपलब्ध करायी गई है। जहॉ तक प्रतिनिधि आवेदिका का तर्क कि बिन्दु क्रमांक 01,02,03,04,05, एवं 06 की जानकारी पूर्ण रूप से उपलब्ध करायी जावे।

तत्संबंध में लेख है कि बिन्दु क्रमांक 01,02 एवं 06 की जानकारी धारा 8(1)(ञ) के अंतर्गत लोकहित से संबंधित सूचना नही है। आवेदक को सहायक यंत्री (सिविल) (प्रशिक्षु) भर्ती के कॉमन सेलेक्ट लिस्ट एवं CBT तथा साक्षात्कार में सम्मिलित उम्मीदवारों तथा अनुपस्थित/अपात्र उम्मीदवारों के नाम को विलोपित कर, रोल नबंर सहित कुल प्राप्त अंकों की जानकारी उपलब्ध करायी गई है।

जहॉ तक सहायक यंत्री (सिविल) (प्रशिक्षु) के भर्ती में सम्मिलित सभी उम्मीदवारों के नाम सहित अंक बताये जाने का प्रश्न है। नाम संबंधी जानकारी के प्रकटन से व्यक्ति विशेष की निजता हनन होने की संभावना है। अतः इस स्थिति में समस्त प्रतिभागी उम्मीदवारों के नाम बताया जाना तर्क संगत नही है।

लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के W.P.(C) 7976/2020 Shri Har Kishan Vs. President Secretariatt Through Its Secretary & Anr. आदेश दिनांक 12 जनवरी 2021 के अंतर्गत उम्मीदवारों के नाम व पता को व्यक्तिगत सूचना मानते हुए, प्रकटन से निषेध किया गया है।

बिन्दु क्रमांक 03,04,05 में चाही गई जानकारी डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन एवं जनरेशन कंपनी के मानव संसाधन कार्यालयों से संबंधित है। अतः भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के ज्ञापन संख्या 10/2/2008 आई.आर दिनांक 24.09.2010 में निर्दिष्ट तथ्यों के अनुसार आवेदक संबंधित पावर कंपनियों के मानव संसाधन कार्यालय में नियमानुसार पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर, जानकारी प्राप्त कर सकते है।

(v) प्रतिनिधि आवेदिका का कथन कि वह उक्त भर्ती परीक्षा में प्रतिभागी उम्मीदवार थी। अतः भर्ती परीक्षा में स्वयं का यथा स्थान क्या है यह जानने के लिए उन्हे 40 पदों के लिए साक्षात्कार में बुलाये गये तीन गुना (120) उम्मीदवारों तथा साक्षात्कार के पश्चात् 40 पदों के लिए चयनित अभ्यार्थियों में से कुल महिला उम्मीदवारों के नाम सहित अंको की जानकारी प्रदान की जावें। तथा माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली का W.P. (C) 7976/2020 Decision 12th January 2021 की छायाप्रति भी उपलब्ध करायी जावे।

(6) इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि कंडिका 05/–टीप के पैरा (iv) में उल्लेखित तर्क नियम संगत है। तथापि कंड़िका 05/–टीप के पैरा (v) के दृष्टिगत प्रकरण में हस्तक्षेप किया जाना उचित होगा।

कंड़िका 05/–टीप के पैरा (v) में आवेदिका द्वारा दिये गये तर्क के दृष्टिगत माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के W.P.(C) 7976/2020 Shri Har Kishan Vs. President Secretariatt Through Its Secretary & Anr. आदेश दिनांक 12 जनवरी 2021 के अंतर्गत परीक्षा में सम्मिलित उम्मीदवारों के नाम को व्यक्तिगत सूचना मानते हुए जानकारी के प्रकटन से निषेध किया गया है। अतः उक्त आदेश के दृष्टिगत नाम व पता तत्संबंधी जानकारी का प्रकटन बाध्यकारी नही है।

जैसा कि अपील पर निर्णय करना एक अर्धन्यायिक कार्य है। इसलिए अपीलीय प्राधिकारी के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि न्याय केवल हो ही नही, बल्कि वह होते हुए दिखाई भी दे।

उपरोक्त के दृष्टिगत अपीलार्थी को सहायक यंत्री (सिविल) (प्रशिक्षु) भर्ती परीक्षा में 40 पदों के लिए साक्षात्कार में बुलाये गये तीन गुना (119) उम्मीदवारों तथा साक्षात्कार के पश्चात् 40 पदों के लिए चयनित अभ्यार्थियों में से कुल महिला उम्मीदवारों के नाम को विलोपित कर, केवल अर्जित किये गये अंकों की जानकारी वरीयता क्रम के आधार पर एवं माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली

का W.P. (C) 7976/2020 Decision 12th January 2021 की छायाप्रति आवेदिका को उपलब्ध करायी जा सकती है। जिससे आवेदिका द्वारा संतुष्ठी व्यक्त की गई।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रतिअपीलीर्थी जनसूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अपील आदेश जारी होने के **10 दिवस** के भीतर अपीलार्थी को सहायक यंत्री (सिविल) (प्रशिक्षु) भर्ती परीक्षा में 40 पदों के लिए साक्षात्कार में बुलाये गये तीन गुना (119) उम्मीदवारों तथा साक्षात्कार के पश्चात् 40 पदों के लिए चयनित अभ्यार्थियों में से महिला उम्मीदवारों के नाम को विलोपित कर, केवल महिला उम्मीदवारों द्वारा अर्जित किये गये अंकों की जानकारी वरीयता क्रम के आधार पर तथा माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली का W.P. (C) 7976/2020 Decision 12th January 2021 की छायाप्रति निःशुल्क उपलब्ध करायें।

परिणामतः दाखिल प्रथम अपील प्रकरण (पंजीयन क्रमांक 33/2020 दिनांक 05.12.2020) एतद् द्वारा नस्तीबद्ध किया जाता है।

(पी.पाण्डेय)
अपीलीय अधिकारी
सह अति.महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574040

क्रमांक :– 01–02/अपील प्रकरण –33/2020/08 रायपुर, दिनांक 25/02/2021

प्रतिलिपि :–

(1) जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(2) प्रबंधक (मा.सं.)–आठ, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(3). श्री अक्षत कुमार गुप्ता, ग्राम व पोस्ट– बतौली, स्टेट बैंक के सामने, जिला – सरगुजा (छ.ग.) पिन– 497101 को सूचनार्थ प्रेषित।

(4) मुख्य अभियंता (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर –उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :– सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

(पी.पाण्डेय)
अपीलीय अधिकारी
सह अति.महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574040